भारत स्काउट और गाइड, उत्तर प्रदेश
जनपद-अलीगढ़

जिला मुख्यालय/कार्यालय : बाबू लाल जैन इण्टर कॉलिज
अलीगढ़ (उ0प्र0) 202001
ईमेल : upbsgaligarh@gmail.com

पत्रांक सं0 : BSGALG-27-31/2023-24 दिनांक : 27.05.2023

प्रेषक,

जिला सचिव,
भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0,
जनपद–अलीगढ़।

सेवा में,

सुश्री कंचन जैन,
पता– कृष्णा पुरी मठिया, गली नं0– 04,
अलीगढ़– 202001 (उ0प्र0)

विषय:– <u>जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला मुख्यायुक्त, (भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0) अलीगढ़ के कार्यालय में आपके द्वारा प्राप्त कराये गए विभिन्न पत्रों के प्रत्युत्तर के सम्बंध में।</u>

महोदया,

<u>उपर्युक्त विषयक के सम्बंध में निम्नवत अवगत कराना है :–</u>

1. यह कि दिनांक 09.05.2023 को जिला कार्यकारिणी की बैठक में अनावश्यक हस्तक्षेप करना, रोके जाने पर की जिला कार्यकारिणी की बैठक चल रही है थोडी देर बाद मिल लिजिएगा, जबरन बैठक कक्ष में प्रवेश करना, देख लेने की धमकी देना, महिला पदाधिकारीयों से अभद्रता करना, बैठक में व्यवधान उत्पन्न करना आदि को घोर अनुशासनहीनता मानते हुए क्यों न आपके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुती की जाए ?
आपके द्वारा उल्लेखित पत्र 34130 में लगाये गये अनर्गल आरोपो के सम्बंध में– जबकि आपको पता था कि जिला कार्यकारिणी की बैठक चल रही है ऐसे में आपके द्वारा बार–बार फोन कर बैठक में व्यवधान उत्पन्न करना क्या उचित था ?
2. यह कि बार–बार आपसे कहा जाना कि जिला कार्यकारिणी की बैठक चल रहीं है आपसे कुछ देर बार मिला जाएगा यह कहने के बाद भी आप व आपके पिता श्री विपिन कुमार जैन व एक और अन्य महिला सदस्य द्वारा जबरन बैठक कक्ष में अभद्रता करते हुए प्रवेश करना क्या उचित था ?
3. यह कि क्या किसी ने आपको यह आश्वासन दिया था की आपके आने पर जिला कार्यकारिणी की बैठक को रोककर आपसे मिला जाएगा। क्या आप मिलने की कहने पर भी इंतजार नहीं कर सकते थे ?
4. यह कि क्या आपका यह आरोप सर्वथा निराधार नहीं है कि 2 घण्टे से आपको रोककर इंतजार करवाया जा रहा था जबकि आप द्वारा बार–बार फोन कर बैठक में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था। बैठक चल रहीं थी इस कारण आपको थोड़ा इंतजार करनें की कहने पर आप व दो अन्य सदस्य जबरन बैठक कक्ष में प्रवेश कर गए। जबकि सारा घटना कम 10–15 मिनट का है।
5. यह कि क्या थोड़ा इंतजार करनें की कहना अपमानित करने के दायरे में आता है ? क्या यह आपके विरूद्व षड्यन्त्र के दायरे में आता है ?
6. यह कि क्या आपका यह आरोप अनर्गल नहीं है कि जिला संगठन आयुक्त (गाइड) की फर्जी नियुक्ति प्रकरण की जॉच चल रही है ? जबकि प्रादेशिक संस्था द्वारा नियुक्तियों को उचित मानते हुए सभी नियुक्त पदाधिकारीयों के अधिकार पत्र भी जारी कर दिए गए है।
7. यह कि क्या यह आरोप अनर्गल नहीं है कि परिषद के जिला अध्यक्ष एंव उपाध्यक्ष अनुपस्थित थे ? कृपया रूल बुक का अध्ययन करें कि ये दोनो सदस्य जिला कार्यकारिणी के सदस्य नही होते है।
8. यह कि आपका यह आरोप निराधार नहीं है कि कोषाध्यक्ष एंव जिला सचिव को बैठक की सूचना नहीं थी। कृपया इस सम्बंध में या तो साक्ष्य प्रस्तुत करें या फिर अनर्गल आरोप लगाना बन्द करें।
9. यह कि आप एंव आपके पिता द्वारा अभद्रता करनें और देख लेनें की धमकी के बाद शोर सुनकर वहॉ उपस्थित अन्य लोग बैठक कक्ष में प्रवेश कर गये थे। अतः आपका यह आरोप भी पूर्ण रूप से निराधार है कि अतिरिक्त लोग बैठक में उपस्थित थे।
10. यह कि आप निरंतर जिला संस्था द्वारा आयोजित समस्त कार्यकमों में अनर्गल आरोप, बिना साक्ष्य दिये लगाती है जिससे संस्था की छवि धूमिल होती है, जिला संस्था के सभी कार्यकम प्रादेशिक संस्था के निर्देशानुसार ही संचालित होते है।

उपरोक्त बिन्दुओं का संज्ञान ले और तीन दिवस के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। अन्यथा दिनांक 09.05.2023 के घटनाकम का संज्ञान लेते हुए जिसमें आपकी संस्था के प्रति घोर अनुशासन हीनता प्रदर्शित होती है क्यों न आपके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए ?

Seen
DC (S)

Seen
DC (G)

जिला सचिव
भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0
अलीगढ़।

→ प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु
(1) प्रादेशिक सचिव, उ. प्र. भारत स्काउट एवं गाइड, लखनऊ
(2) सह प्रादेशिक संगठन आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल
(3) जिला मुख्यायुक्त / जि. वि. नि. अलीगढ़
(4) [illegible]